



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 123-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2021

(12 श्रावण, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
1.	हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2020 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18)	173
2.	पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2020 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) (केवल हिन्दी में)	175-176
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 03 अगस्त, 2021

संख्या लैज. 18/2021.— दि हरियाणा लॉ आफिसरज (इन्जोमेन्ट) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 जुलाई, 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18**हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2020****हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016,****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, "नियुक्त, नियुक्ति तथा की नियुक्ति" शब्द जहां कहीं आएँ, के स्थान पर, क्रमशः "नियोजित, नियोजन तथा के नियोजन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक में, "पांच" शब्द के स्थान पर, "दस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 6 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
 "9क. विधि अधिकारी का पुनः—पदनाम.— राज्य सरकार, महाधिवक्ता की सिफारिश पर, किसी विधि अधिकारी को विधि अधिकारी के किसी उच्चतर पद पर पुनः—पदनामित कर सकती है बशर्त वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उच्चतर पद के लिए विहित अनुभव तथा निपटाए गए मामलों की संख्या से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता हो।"। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 में धारा 9क का रखा जाना।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।